

## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 09 / 2024

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

-प्रार्थी

--:बनाम:-

अप्रार्थी-1

अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मण राम (मालिक)

मैसर्स:-श्री चंदगी राम मिष्ठान भंडार, पुलिस स्टेशन के पास, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

निवासी:-वार्ड नं. 18, साहबा बस स्टैण्ड, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी-2

लक्ष्मण राम पुत्र चंदगीराम (विक्रेता)

मैसर्स:-श्री चंदगी राम मिष्ठान भंडार, पुलिस स्टेशन के पास, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।



-अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थित:-

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अप्रार्थीयान।

-:निर्णय:-

दिनांक :-21.04.2025

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 08.11.2023 को समय शाम 04.40 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्स:-श्री चंदगी राम मिष्ठान भंडार, पुलिस स्टेशन के पास, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मण राम (मालिक) एवं लक्ष्मण राम पुत्र चंदगीराम (विक्रेता) निवासी-वार्ड नं. 18, साहबा बस स्टैण्ड, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते पीपो में Mawa (khoya) तादाद करीब 20 किलोग्राम रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 01 किलोग्राम Mawa (Khoya) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। जिसको चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी खाली कांच की शीशीओं में भरकर लिया तथा प्रत्येक शीशी के Mawa (Khoya) में 20-20 बूंदे फॉर्मलिन की डाली गई। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Mawa (Khoya) के खरीद मूल का 300/-रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 01 किलोग्राम Mawa (Khoya) को चार बराबर भाग में प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया और चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं0 एके-3135 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके-3135 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार-चार जगह से सील चपड़ी किया। सील नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1914 दिनांक

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़

22.11.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/4091-92 दिनांक 30.11.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard खाद्य पदार्थ Mawa (Khoya) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Mawa (Khoya) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीयान के मावा किसी भी सूरत में सबस्टेण्डर्ड नहीं था। अप्रार्थीयान के यहां से जो नमूना लेने के कथन प्रार्थी द्वारा किये गये हैं, वह नमूने लेते वक्त विहित प्रक्रिया की पालना किये बिना सावधानीपूर्वक मावा का नमूना नहीं लिया गया है एवं ना ही उसे पैक किया परीक्षण प्रक्रिया में मानवीय त्रुटि की संभावना हमेशा बनी रहती है, जिससे गलत परिणाम आने की पूर्ण संभावना होती है, हालांकि अप्रार्थीयान द्वारा अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाये रखने के लिये लगातार प्रयास किया है एवं आगे भी प्रयासरत रहेंगे। अप्रार्थीयान का प्रतिष्ठान मावा बनाने में लंबे समय से प्रतिष्ठा बनाये हुये हैं, जो गुणवत्ता मानकों को पूरा करती है या उसे बेहतर बनाती है। हमने नियमित रूप से निर्धारित मानकों का अनुपालन किया है। इस घटना से पहले हमारे प्रतिष्ठान के विरुद्ध पूर्व में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। मावा का नमूना सही तरीके से नहीं लेने अर्थात प्रक्रियात्मक ऋणी के कारणवश ही रिपोर्ट दिनांक 22.11.2023 सब स्टैण्डर्ड की प्राप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट दिनांक 22.11.23 कतई त्रुटिपूर्ण होने से अप्रार्थीयान को ऐतराज है। अप्रार्थीयान अपने खाद्य उत्पादन प्रक्रिया में कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपाय बनाये रखते हैं जिसमें हमारे उत्पादों का नियमित परीक्षण और नमूनीकरण प्रक्रिया शामिल है जो हमारे ग्राहकों को सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। अतः जबाव प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिये इस मामले की गहन एवं निष्पक्ष जांच का अनुरोध करते हुये अप्रार्थीयान के विरुद्ध समस्त कार्यवाही गलत रूप से विहित प्रक्रिया अनुसार नमूना ना लेने एवं प्रक्रिया को अनदेखा कर नमूना लेने के कारण प्रश्नगत समस्त कार्यवाही दूषित होने से आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीयान से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Mawa (Khoya) की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Substandard Mawa (Khoya) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी-1 पर 40,000/- (अखरे रूपये चालीस हजार मात्र), अप्रार्थी-2 पर 10,000/- (अखरे रूपये दस हजार मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 50,000/- (अखरे रूपये पचास हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उम्रमदी लाल मीना)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़